

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्राशि/बजट/बी-4/2018-19/

दिनांक:-14.01.2019

जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय)

प्रारम्भिक शिक्षा

जोधपुर

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,

पंचायत समिति टोंक, देवली (टोंक), झोटवाडा (जयपुर)

अलसीसर(झूझनू) बागीदौरा(बांसवाडा)

विषय:- चिकित्सागत में विशेष बजट आवंटन के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके मांग-पत्र के क्रम में मांग संख्या 24 के तहत बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 111- सर्व शिक्षा अभियान, (01)- शिक्षा गारन्टी स्कीम (00)- (04) चिकित्सा व्यय (राज्य निधि) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये निम्नानुसार कार्यालयों को गम्भीर रोग से ग्रस्त कार्मिकों के बकाया चिकित्सा पुनर्भरण हेतु राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का उपयोग सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-2008/2013 के तहत प्रकरण की जाँच करने के उपरांत ही नियमानुसार किया जावे।

क्र० सं०	ऑफिस आई.डी.	जि.शि.अ / सीबीओ कार्यालय का नाम	04-चिकित्सा व्यय में आवंटित राशि रूपयों में।	विशेष विवरण
1	1574	जोधपुर	283039	श्री रतन सिंह शा.शि राउप्रावि चौपासनी जोधपुर स्वयं के गम्भीर रोग उपचार पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
2	1436	टोंक(टोंक)	101084	श्री जफरउल्ला खां प्र. अध्यापक सेवानिवृत्त स्वयं के गम्भीर रोग उपचार पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
3	1440	देवली (टोंक)	110628	श्री लक्ष्मीचन्द रेगर व. अध्यापक राउप्रावि स्वयं के गम्भीर रोग उपचार पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
4				17077 / --
4				श्री बद्रीलाल अध्यापक. राउप्रावि टिकला स्वयं के गम्भीर रोग उपचार पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
5	1697	झोटवाडा (जयपुर)	126028	93551 / -
5				श्री अनिल शेखावत अध्यापक, राउप्रावि जोडला स्वयं के गम्भीर रोग उपचार पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
6	1470	अलसीसर((झूझनू)	95805	श्री कमलेश कुमार कुलहरि अध्यापक, राप्रावि पिसाऊ की पत्नि कमला के गम्भीर रोग उपचार पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
7	1666	बागीदौरा(बांसवाडा)	49782	श्री सुरेश चन्द्र व्यास प्र. अध्यापक, राउप्रावि कातरिया स्वयं के गम्भीर रोग उपचार पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
		योग	766366	

(अखरे रूपये सात लाख छयासठ हजार तीन सौ छयासठ मात्र)

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ. 5 (थ-75) कोष/IFMS/ कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.13 के तहत IFMS अन्तर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 01 से 10 तारीख तक बुक किये आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रत्येक माह की 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक बुक किये गये आंकड़ों का मिलान आगामी माह की 03 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जावे।

उपर्युक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है, कि राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा पुनर्भरण नियमानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

मुख्य लेखाधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जोधपुर
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान अनुभाग कार्यालय हाजा
4. संबंधित कार्मिक श्री/ श्रीमति.....
5. रक्षित पत्रावली।

11
मुख्य लेखाधिकारी

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्राशि/बजट/बी-4/2018-19/

दिनांक:-14.01.2019

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
पंचायत समिति सादुलशहर(श्रीगंगानगर)

विषय:- चिकित्सामद में विशेष बजट आवंटन के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके मांग-पत्र के क्रम में मांग संख्या 24 के तहत बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 111- सर्व शिक्षा अभियान, (02)- शिक्षा गारन्टी स्कीम (00)- (04) चिकित्सा व्यय (केन्द्रीय सहायता) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये निम्नानुसार कार्यालयों को गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिकों के बकाया चिकित्सा पुनर्भरण हेतु राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का उपयोग सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-2008/2013 के तहत प्रकरण की जाँच करने के उपरांत ही नियमानुसार किया जावे।

क्र० सं०	ऑफिस	जि०/सी०/बी०/ओ० कार्यालय का नाम	04-चिकित्सा व्यय में आवंटित राशि रूपयों में	विशेष विवरण
1.	1457	सादुलशहर(श्रीगंगानगर)	117525	श्री गोपीराम व.अध्यापक सेवानिर्वृत राउप्रावि दुदाखीचड स्वयं के गम्भीर रोग उपचार पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
योग			117525	

(अखरे रूपये एक लाख सत्तरह हजार पांच सौ पचीस मात्र)

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ. 5 (थ-75) कोष/IFMS/कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.13 के तहत IFMS अन्तर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 01 से 10 तारीख तक बुक किये आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रत्येक माह की 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक बुक किये गये आंकड़ों का मिलान आगामी माह की 03 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जावे।

उपरोक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है, कि राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा पुनर्भरण नियमानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

मुख्य लेखाधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान अनुभाग कार्यालय हाजा
4. संबंधित कार्मिक श्री/श्रीमति.....
5. रक्षित पत्रावली।

1
मुख्य लेखाधिकारी